

कमांक-271/ई-टेंडरिंग/प्र.अ./2019-20/5104  
कार्यालय प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग  
जल संसाधन भवन, तुलसीनगर,  
दूरभाष 0755-2573438, फेक्स 0755-2552406  
email ID - ce.tender.wrdmp@gmail.com

प्रति,

मुख्य अभियंता (समस्त)  
..... कछार/परियोजना,  
जल संसाधन विभाग,  
.....मध्यप्रदेश।

विषय:-निविदा प्रपत्र की कंडिकाओं में विभिन्न कार्यों की निर्माण कार्यों के विभिन्न अवयवों के स्वीकृतार्थ आदि में मुख्य अभियंता, बोधी के अनुमोदन का उल्लेख किये जाने बाबत।

संदर्भ:-मुख्य अभियंता, बोधी का पत्र क्र. 397/पी.ई.सी./द.ला./बोधी, भोपाल दिनांक 27.09.2019.

000

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा मुख्य अभियंता, बोधी ने अवगत कराया है कि निविदा प्रपत्र की विभिन्न कंडिकाओं यथा Flood discharge capacity, Foundation Level / परिवर्तन, बांध का स्थान, ऊंचाई आदि के निर्धारण के संबंध में मुख्य अभियंता, बोधी का अंतिम निर्णय/अनुमोदन प्रावधानित है। जबकि कार्य विभाग नियमावली 1983 के अध्याय-7 में वर्णित Appendix (प्रादर्श) 7.02 Responsibility chart के अंतर्गत पैराग्राफ 7.009, 7.010, 7.011, 7.012, 7.013, एवं 7.014, पेज 248--257 Volume-II Appendix Part-II में संबंधित मुख्य अभियंता को पूर्ण अधिकार प्रदत्त हैं।

अतः स्पष्ट किया जाता है कि कार्य विभाग नियमावली 1983 के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों के अवयवों के स्वीकृति हेतु मुख्य अभियंता ही सक्षम प्राधिकारी हैं एवं तकनीकी मार्गदर्शन, हाईड्रोलॉजी इत्यादि के पुनरीक्षण (Vetting) की स्थिति में ही प्रकरण मुख्य अभियंता बोधी को प्रेषित किये जावें। यह व्यवस्था वर्तमान में प्रचलित अनुबंधों पर भी प्रभावशील होगी।

६२५

(मदन सिंह डाबर)

प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर, 2019

पृष्ठांकन क्र. 271/ई-टेंडरिंग/प्र.अ./2019-20/5105

प्रतिलिपि:-

वेब मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(मदन सिंह डाबर)

प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग, भोपाल